हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

संख्याः एस0जे0 ई0–बी(1)16/2012 तारीख शिमला–2, 31 जुलाई, 2017

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 26 जून, 2015 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) सूचना प्रौद्योगिकी (श्रवण बाधित) वर्ग–।। (अराजपत्रित), भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2015 का और संशोधन करने के निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) सूचना प्रौद्योगिकी (श्रवण बाधित) वर्ग–।। (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2017 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से, प्रवृत्त होंगे।

उपाबन्ध – "क" का संशोधन।

2 हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) सूचना प्रौद्योगिकी (श्रवण बाधित) वर्ग–।। (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 के उपाबन्ध "क" में,–

(क) स्तम्भ संख्याः 6(2) के सामने विद्यमान उपबन्धों का लोप किया जाएगा।

(ख) स्तम्भ संख्याः 7 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात –

(क) अनिवार्य अर्हताएं–

i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्पयूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में बी0 ई0 या बी0 टैक या इसके समतुल्य उपाधि।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी0 ई0 या बी0 टैक0 (किसी भी शाखा में) या किसी मान्यता प्राप्त

विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्पयूटर विज्ञान/प्रौद्योगिकी /एप्लीकेशनज में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या इसके समतुल्य।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्पयूटर विज्ञान/कम्पयूटर एप्लीकेशनज में स्नातकोत्तर उपाधि (एम. सी.ए.) या इसके समतुल्य।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से गणित/ भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ–साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्पयूटर विज्ञान/ एप्लीकेशनज मे स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

या

राष्ट्रीय इलैक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (निलिट) (पूर्वतर डोएक सोसाईटी) से "बी" या "सी" स्तर का कोर्स।

ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से विशेष शिक्षा (श्रवण बाधित) में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) या साधारण/विशेष शिक्षा स्नातक (बी0एड0) सहित पी0जी0पी0 डी0एस0ई0 (एच आई) विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यवसायिक डीप्लोमा।

iii) अभ्यर्थी का भारतीय पुर्नवास परिषद (आर0सी0आई) के साथ रजिस्ट्रीकृत होना अनिवार्य है।

(ग) स्तम्भ संख्याः 9 के सामनें विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः–

(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित का आदेश दे।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति की दशा में, अधिवर्षिता के पश्चात पुर्ननियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

(घ) स्तम्भ संख्याः 15 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः–

सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति,

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारिरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठयक्रम आदि यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ति अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा किया अवधारित जाएगा"।

(ङ) स्तम्भ संख्या 15–क (IV) के सामने विद्यमान उपबन्धो के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात

(IV) चयन प्रक्रियाः

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारिरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठयक्रम आदि सम्बन्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(च) स्तम्भ संख्या 15–क (VII) (ग) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थातः–

संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 45 दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किये बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा",

उपाबन्ध "ख" का संशोधन	उपाबन्ध "ख" मे स्तम्भ संख्या 4 के के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थातः—

संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 45 दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किये बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा"।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(Authoritative English Text of this Department Notification No. SJE-A-B(1)-16 /2012, dated: 31st July, 2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

Government of Himachal Pradesh
Department of Social Justice and Empowerment

No. SJE-A-B(1)-16/2012 dated: Shimla-02 the 31st July, 2017

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Social Justice & Empowerment, Special Post Graduate Teacher (PGT) IT (Hearing Impaired) Class-II (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2015, notified vide Notification of even No. dated: 26-06-2015, namely:-

Short title and commencement: 1 (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Social Justice and Empowerment, Special Post Graduate Teacher (PGT) IT (Hearing Impaired) Class-II (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion (1st- Amendment) Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Amendment of Annexure - "A" 2. In Annexure- "A" to the Himachal Pradesh, Department of Social Justice and Empowerment, Special Post Graduate Teacher (PGT) IT (Hearing Impaired) Class-II (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2015, -

(a) the existing provisions against Col. No. 6 (2), shall be omitted;

(b) for the existing provisions against Col. No. 7, the following shall be substituted, namely:-

"(a) Essential Qualification:-

(i) B.E. or B. Tech. in Computer Science/Information Technology or equivalent degree from a recognized University/Institute.

OR

B.E. or B.Tech (any stream) from a recognized University/Institute and Post Graduate Diploma in Computer Science/ Technology/ Applications or equivalent from a recognized University/Institute.

OR

Master Degree in Computer Science/Computer Applications (MCA) or equivalent from a recognized University/ Institute.

OR

Post Graduate Degree in Mathematics/Physics from a recognized University with Post Graduate Diploma in Computer Science/Applications from a recognized University/ Institute.

OR

"B" or "C" level course from National Institute of Electronics & Information Technology (NIELIT), (erstwhile DOEACC Society).

(ii) B.Ed. in Special Education (Hearing Impaired) or PGPDSE (HI) (Post Graduate Professional Diploma in Special Education) with General/Special B.Ed. from a recognized Institution / University.

(iii) The candidate must be registered with Rehabilitation Council of India (RCI);"

(c) for the existing provision against Col. No. 9, the following shall be substituted, namely:-

"(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the

competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption;"

(d) For the existing provisions against Col No. 15, the following shall be substituted, namely:-

"Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/personality test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority, as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type) / written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting agency/authority, as the case may be;"

(e) For the existing provisions against Col No. 15-A(IV), the following shall be substituted, namely:-

"SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of interview / personality test, if considered necessary or expedient on the basis of interview/ personality test preceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard/ syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Service Commission;"

(f) For the existing provisions against Col No. 15-A (VII) (c), the following shall be substituted, namely:-

"Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed Casual leave, Medical Leave & Special Leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year"; and

Amendment of Annexure - "B"

(g) **For the existing provisions against Col No.4, the following shall be substituted, namely:-**

"Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee :

Provided that the un-availed Casual leave, Medical Leave & Special Leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be

carried forward for the next Calendar Year."

By Order

Pr. Secretary (SJ&E) to the
Govt. of Himachal Pradesh.